न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः रामचन्द्र खटीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 382/2018

उनवान

ीसरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी।

—:

बनाम

लालजी पिता मोगजी पटेल निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: अप्र

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 8

निर्णय

दिनांकः 30/7/

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि श्रीसरकार जरिये तहसी (भूमिधारी) गढ़ी ने पटवार हल्का बोरी के मौजा बोरी की खाता संख्या 146 के सर्वे 1191 रकबा 0.13 हे0 किस्म— अडान—प्र. भूमि श्री लालजी पिता मोगजी पटेल की खा में दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि में स्थित आम के पेड़ नंग एक को अप्रार्थी श्री लालजी मोगजी पटेल निवासी बोरी द्वारा बिना अनुमति के कांट कर राजस्थान काश्त अधिनियम 1955 की धारा 84, 86 का उलंघन किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना अनुम आम का पेड़ कांटे जाने के क्रम में पटवारी हल्का बोरी एंव भू—अभिलेख निरीक्षक बोरी तैयार किया गया मौका पर्चा/राजस्व अभिलेख/लकड़ी सुपुर्दगीनामा आदि प्रार्थना—प संलग्न प्रस्तुत करतें हुऐ प्रार्थी को इमदाद दिलाने निवेदन किया गया।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजि किया जाकर अप्रार्थी श्री लालजी पिता मोगजी पटेल निवासी बोरी के नाम सम्मन किये जाने तथा सम्मन बाद तामील प्राप्त होने के उपरान्त भी किसी के उपस्थित नहीं पर अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र, पटवारी एंव भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया मौका पर्चा/राजस्व अभिलेख नकल/लकड़ी सुपुर्दगीनामा का अवलोकन किया जाने पर पाया गया कि अप्रार्थ लालजी पिता मोगजी पटेल निवासी बोरी द्वारा पटवार हल्का बोरी के मौजा बोरी की संख्या 146 के सर्वे नम्बर 1191 रकबा 0.13 हे0 किस्म— अडान—प्र. भूमि में स्थित एक के पेड़ को कांट कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 86 का उ किया गया है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया अप्रार्थी को खातेदारी भूमि में स्थित एक आम का पेड़ बिना अनुमति के कांट फलस्वरूप 100/— रू0 के दण्ड से दण्डित किया जाता है। तथा प्रार्थी तहसी (भूमिधारी) गढ़ी को आदेशित किया जाता हैं कि जुर्माना राशि की तहसील राजस्व लेख से मांग कायमी करातें हुऐ मौका पर्चा में वर्णित अनुसार लकड़ी की किमत रू0 4,00 (अक्षरे रूपये चार हजार) में सम्बन्धित भू—अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी के माध्य लकड़ी की निलामी कराई जाकर अन्तिम बोलीदाता को लकड़ी सुपुर्द कराई जाकर लकड़ी अन्यत्र ले जाई जानी है तो सम्बन्धित बोलीदाता को वन विभाग से नियम परिवहन की स्वीकृति पृथक से प्राप्त करने निर्देशित किया जाकर) जुर्माना एंव निलामी की राशि राज कोष में जमा करातें हुऐ पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में 15 में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 30/7/2019 को सुनाया गया।